

23/3/21

प्रावली केस हुई। वकील प्रार्थी लार्कि
वहीं है। मुल काद अदम लार्कि व
अदम केरी के खारिज होने के कारण
प्रावली का कोई अतिथि नहीं है। प्रावली
अदम लार्कि में व अतिथि होने
से खारिज की जाती है। प्रावली केसल
शुमार लेकर नंबर से कम लेकर दार्जिल
दफ्तर है। आदेश खुले अदालत में
कुलका आकर मेरे हस्ताक्षर व अदालत
मुद्रा से जारी किया गया। 1/15

